

उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते जबाब दि
30.7.18 को पेश हो। तब तक T.C. की
अवधि खटाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दोसा)

30-7-18

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रील

उभय पक्ष उपस्थित। जबाब के बिने समय
नाहले है। अतः पत्रावली वास्ते जबाब दि.

13.8.18 को पेश हो। तब तक T.C. की
अवधि खटाई जाती है।

दिनांक 13-08-2018

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दोसा)

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार
अधिनियम निर्णित हो चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रभावहीन
हो चुका है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावहीन हो
जाने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी
अन्त.अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19-06-2014 निरस्त की जाती
है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दोसा)